दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

संजय मार्केट के पास मिला अज्ञात व्यक्ति शव

न्याय साक्षी/रायगढ़। रविवार बाजार के दिन शहर की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई मौके पर 112 को फोन किया गया 112 ने मौके पर पहुंचकर तत्काल मामले को देखते हुए सिटी कोतवाली को मामले से अवगत किया। घटना श्याम मंदिर संजय मार्केट के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर करीब 2:00 बजे के आसपास श्याम मंदिर संजय मार्केट के पास अज्ञात व्यक्ति का शव सीढियों में लोगों को दिखा। लोगो ने 112 को सूचित किया। 112 के कांस्टेबल मनोज भारती और ड्राइवर मौके पर तत्काल पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए सिटी कोतवाली को सूचित किया। प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति बापू नगर का बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस इस मामले को लेकर अभी शिनाख्त में जुटी हुई है। बहुत जल्दी शिनाख्त होने की उम्मीद है।

पति-पत्नी पर जनलेवा हमला

घटना में पति की मृत्यु, पत्नी गंभीर रूप से घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू अन्तर्गत ग्राम रनपुर निवासी बली डनसेना पिता नारायण डनसेना 26 वर्ष व उसकी पत्नी ललिता डनसेना (उम्र 22 वर्ष) रायगढ़ में रहकर फागुबाड़ी में रोजी मजदूरी का काम करते थे । ललिता डनसेना को गोविन्द यादव जो मिस्त्री का काम करता है, दिनांक 22.03.19 को अपने साथ चन्द्रनगर (चक्रधरनगर) ले आया। दूसरे दिन दिनांक 23.03.19 को ललिता का पति बलीराम डनसेना उसे लेने आया तो गोविन्द यादव क्यों ले जा रहे हो कहकर तखत के पाया से बलीराम डनसेना के सिर में मारा, बीच बचाव करने ललिता आयी तो उसे भी सिर में मारा । घटना की सूचना डायल 112 को मिलने पर मौके पर जाकर आहतों को केजीएच अस्पताल पहुंचाया । आहत बलीराम डनसेना की मृत्यु हो गई है तथा आहिता ललिता डनसेना के सिर में गंभीर चोट है जो भी केजीएच अस्पताल में भर्ती है । घटना के संबंध में आहिता ललिता डनसेना के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 94/19 धारा 302, 307 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया है । आरोपी गोविंद यादव घटना के बाद से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है ।

प्रधानमंत्री आवास नही बनाने वाले 80 हितग्राहियों को नोटिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने मकान बनाने की पहली किश्त लेने के बाद भी हितग्राहियों द्वारा अपने मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ नही करने वाले 80 हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और एक माह के भीतर जवाब नही देने वाले हितग्राहियों से उनको जारी की गई पहली किश्त की राशि वापस लेने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में रायगढ़ एसडीएम भागवत जायसवाल ने बताया कि पुसौर तथा रायगढ़ ब्लाक के 80 हितग्राही ऐसे है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त लेकर मकान बनाना शुरू नही किया जिसके चलते नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार उन्होंने पहली किश्त मिलने के बाद भी अपने मकान का निर्माण कार्य क्यों शुरू नही किया। रायगढ़ एसडीएम का कहना है कि नोटिस में एक माह का समय जवाब के लिए दिया गया है और सही जवाब नही आने पर सभी 80 हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना की जारी किश्त की राशि वसूली की जाएगी।

निर्माणाधीन दीवार के गिरने से दो मजदूर की दबकर हुई मौत

आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार, पूंजीपथरा थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर के ग्राम चारभांठा में रहने वाला परमानंद चौहान पिता जगदीश चौहान उम्र 25 वर्ष अपनी पत्नि रेखा चौहान के साथ ससुराल ग्राम सराईपाली (थाना पूंजीपथरा) में रहकर ग्राम देलारी के निरंजनम गैस प्लांट के पीछे बन रहे चौरसिया इंडस्ट्रीज रोलिंग मिल में ठेकेदार मुकेश कुमार आडिल के अण्डर मजदुरी का काम कर रहा था । दिनांक 23.03.19 को दोपहर करीबन 01 बजे परमानंद चौहान जिस फाउन्डेशन निर्माण का काम कर रहा था वहां की दीवाल गिर गई है जिसमें परमानंद चौहान व एक मिस्त्री सालिक राम किण्डो पिता भुर्री किण्डो उम्र 35 वर्ष निवासी छिपनिया थाना सीतापुर सरगुजा हाल सराईपाली दब गये , जिन्हें आसपास के लोग

च्त॥ अस्पताल ले जाकर भर्ती किये । जहां परमानंद चौहान, सालिक राम किण्डो फौत हो गये । घटना के संबंध में थाना पूंजीपथरा में मृतक परमानंद चौहान के भाई सदानंद चौहान के रिपोर्ट पर अप.क्र. 56/19 धारा 288, 304 (ए) आईपीसी ठेकेदार मुकेश कुमार आडिल स/श महेत्तर आडिल उम्र 56 वर्ष निवासी जाटवरपारा गेरवानी थाना पूंजीपथरा के विरूद्ध दर्ज किया जिसके द्वारा सुरक्षा की कोई व्यवस्था न कर उपेक्षा पुर्वक कार्य कराने के दौरान निर्माणाधीन दीवाल के गिरने से परमानंद चौहान व सालिक राम किण्डो के दीवाल में दब जाने से आई अंदरुदी चोंटें से मृत्यु हुई है ।

बड़पारा में हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी

कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली अन्तर्गत पुराना बडपारा नयागंज में रहने वाली श्रीमती ओमपति शर्मा पति स्व. सजन शर्मा उम्र 62 वर्ष की दिनांक 22.03.19 के प्रातः उसके कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था में पडी रहने की सूचना पर थाना कोतवाली में मर्ग क्रं. 30/2019 धारा 174 जाफौ पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था । मृतिका की मौत संदिग्ध प्रतीत होने पर मृतिका के शव का पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट मांगा गया कि मृतिका की मौत कैसे हुई है । डॉक्टर द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में नरहत्या लेख करते हुए मृतिका को किसी ठोस भोंथले हथियार से सिर में चोट पहुंचाने से मौत होना लेख किये। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 220/19 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । मृतिका ओमपति शर्मा अपने घर में अकेली रहती थी । मृतिका के पति एवं पुत्र की मृत्यु क्रमशः वर्ष 1997 एवं 2005 में हो गई थी । मृतिका की पुत्री नीतू श्रीवास्तव अपने पति के साथ बोईरदादर में रहती है । अपराध विवेचना के दरमियान मोहल्ले में पता चला कि मृतिका का मोहल्ले में मोहल्लेवालों से आए दिन विवाद होता था । मृतिका की पुत्री ने बताया कि मृतिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा उसे चिड़चिड़ापन रहता था । दिनांक 21.03.2019 को होली त्यौहार के दिन मोहल्ले के लोग डी.जे. लगाकर नाच गाकर होली का त्यौहार मना रहे थे जिससे मृतिका शर्मा ने डी.जे. बंद करने के लिए बोला और उन्हें गाली गलौच कर अपने घर आ गई थी । विवेचना दरमियान यह भी पता चला कि मृतिका मोहल्ले के सुनील यादव को गाली गलौच दे रही थी जिससे सुनील यादव का उससे विवाद हुआ था तथा सुनील यादव ने मृतिका को जान से मारने की धमकी दिया था । मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया गया।

नव चिकित्सा संस्थान का शुभारंभ कल

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ की जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने जा रही है। भारत वर्ष की सबसे बड़ी डायबिटिज क्लिनिक की चेन ''लाईफ स्पान वेलनेस मुम्बई की छत्तीसगढ़ की पहली शाखा का शुभारंभ दिनांक 27 मार्च बुधवार को कोतरा रोड, सिंडिकेट बैंक के पास, सोनी भवन में होगा। जिले के लोकप्रिय ख्यातिलब्ध चिकित्सक और मित्र रोटेरियन डॉ. मनीष बेरीवाल ने बताया कि लाईफ स्पॉन डायबिटीज क्लीनिक एक अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त संस्थान है जहां शुगर के मरीजों को संपूर्ण जांच परामर्श एवं निदान एक ही छत के नीचे मिलेगा।

पर्यवेक्षकों को देनी पड़ी परीक्षा

न्याय साक्षी/रायगढ़। लोकसभा चुनाव में अपनी ड्यूटी करने वाले पर्यवेक्षकों को इस बार पहले परीक्षा देनी पड़ रही है ताकि चुनाव के समय आने वाली समस्याओं को वे दूर कर सके । पहली बार ऐसा हुआ है जब अधिकारियों की बैठक में बकायदा पेपर बांटकर उनके अंकों को देखा जा रहा है और उसी आधार पर अधिकारियों को पास फेल भी करके उनकी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिले की रायगढ़ व जशपुर में चुनावी ड्यूटी में लगे पर्यवेक्षकों को इसमें शामिल करके यह परीक्षा ली गई। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एग्जाम के जरिए पर्यवेक्षकों से उनकी ड्यूटी संबंधी जानकारी को दुरूस्त किया जाए।

जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए अच्छा काम कर रही है डॉयल 112- एआईजी गर्ग

डॉयल 112 स्टाफ की ली बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। धर्मेंद्र गर्ग, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं/ डायल 112) रायगढ़ जिले में कार्यरत डॉयल 112 परियोजना के जिला नोडल अधिकारी, वाहन मैनेजमेंट, डॉयल 112 में कार्यरत आरक्षक एवं वाहन चालकों के साथ बैठक लेने रायगढ़ आये हुये थे । बैठक सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित की गई थी । बैठक में

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश अग्रवाल, अति.पुलिस अधीक्षक एवं जिला नोडल अधिकारी डॉयल 112 अभिषेक वर्मा, सी.एस.पी. अविनाश सिंह ठाकुर, रक्षित निरीक्षक अमरजीत खूंटे, जिला प्रबंधक एबीपी मनोज कुमार, शिकायत शाखा प्रभारी उप निरीक्षक एल.पी.तिवारी, डॉयल 112 प्रभारी सउनि प्रेमसाय भगत, वाहन शाखा प्रभारी सउनि राजकुमार राय , प्रशिक्षु उप निरीक्षक दूरसंचार पुष्पेंद्र तथा थाना/चौकी के ईआरव्ही स्टाफ आरक्षक एवं वाहन चालक उपस्थित थे ।

ए0आई0जी0 गर्ग ने जिले के डॉयल 112 के कार्यों की समीक्षा कर यहां के कार्यों को बेहतर बताया तथा ईआरव्ही में कार्यरत आरक्षकों एवं वाहन चालाकें को हमेशा अलर्ट रहने, रिस्पांस टाइम का ख्याल रखने जैसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480